न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 34 / 2020

प्रविष्टि दिनांक 17.12.2020

रामराज पुत्र श्योकिशन जाति जाट निवासी नयागांव / ब्राहमण का वास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोडारायसिंह जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 05.10.2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री राकेश गंगवाल, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 25.02.2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने आदेश दिनांक 05.10.2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 356 / 5407 रकबा 2.31 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम नयागांव ब्राहमण का वास पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का पवालिया द्वारा गांव के कुछ लोगो के बहकावे मे आकर अतिक्रमण की झूठी शिकायत तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी भी अतिक्रमण या कब्जा नही रहा तथा वर्तमान मे भी कब्जा / अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एक छपे—छपाये हुये साईक्लोस्टाईल फार्म पर निर्णय गलत रूप से पारित किया गया है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। पटवारी हल्का के बयानो मे पूर्व के निर्णय का उल्लेख नही है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:15 IST
Reason: SelfAttested

935

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नही दिया गया है। उपरोक्त आराजी पर वर्तमान मे अपीलांट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अपीलांट का कब्जा नही है। अपीलांट ने अपील मीमो प्रस्तुत करते समय ही उक्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिकमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिकमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 356/5407 रकबा 2.31 है0किस्म चरागाह वाके ग्राम नयागांव ब्राहमणो का वास तहसील टोडारायसिंह पर कब्जा डोल कर कर अतिक्रमण किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित करने के लिए प्रार्थी द्वारा पूर्व मे किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप प्रार्थी के विरूद्व प्रकरण संख्या 880/2019 निर्णय दिनांक 16.07.2019 मे की गई बेदखली की कार्यवाही एंव मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने की पटवारी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित होता है।

अपीलांट ने अपील मीमो के साथ आराजी खसरा नम्बर 356/5407 वाके ग्राम नयागांव/ब्राहमणो का वास पर कभी अतिक्रमण नही रहा,वर्तमांन मे भी मेरा कब्जा या अतिक्रमण नही है तथा मे भविष्य मे भी इस भूमि पर या अन्य राजकीय भूमि पर कब्जा या अतिक्रमण नही करूंगा बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.10.2020 के जरिये की गई दोष सिद्वी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को [illegible] रखा जाता है कि तहसीलदार टोडारायसिंह यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट का [illegible] भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर [illegible] है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडारायसिंह हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

25-2-21

(मुरारी लाल शर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

अति.जिला कलेक्टर, टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner